



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 श्रावण, 1948 (श०)

संख्या - 448 राँची, शुक्रवार,

21 अगस्त, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

5 अगस्त, 2026

संख्या-5/आरोप-1-18/2014 का०-5094--डॉ० अनवर हुसैन झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-667/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पांकी के विरुद्ध प्रमंडलीय आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर के पत्रांक-1230, दिनांक 11.09.2012 के माध्यम से उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-1790/गो०, दिनांक 16.07.2011 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध पदस्थापन स्थान में आवासित नहीं रहने, बिना अवकाश/अनुमति के गायब रहने, सरकारी वाहन एवं ईंधन का दुरुपयोग करने, वर्ष 2003 की सुखाड़ से निपटने हेतु योजना कार्य में शिथिलता, मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने की योजना में लापरवाही/अनियमितता, सहाय्य योजना में अभिरुचि नहीं लेने, तालाब निर्माण में अग्रिम की वसूली की कार्रवाई नहीं करने, उच्चाधिकारियों को भ्रमित करने, सरकारी राशि के दुरुपयोग, जलाशय योजना में गड़बड़ी एवं वित्तीय अनियमितता संबंधी कुल-20 आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-11171, दिनांक 01.10.2012 के द्वारा डॉ० हुसैन से स्पष्टीकरण की माँग की गई। पुनः विभागीय पत्रांक-993, दिनांक 01.02.2013 द्वारा स्मारित करते हुए स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु अनुरोध किया गया, फिर भी उनका स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ।

3. डॉ० हुसैन के विरुद्ध प्रतिवेदित गंभीर आरोपों के आलोक में विभागीय संकल्प सं०-4943, दिनांक-08.05.2013 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

4. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-486, दिनांक 22.09.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें प्रपत्र 'क' में प्रतिवेदित 20 (बीस) आरोपों में से 18 (अठारह) आरोप प्रमाणित पाये गये।

5. डॉ० हुसैन के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से सहमत हुआ जा सकता है। डॉ० हुसैन के विरुद्ध उक्त प्रमाणित आरोप गंभीर प्रकृति के हैं तथा सरकारी कार्य एवं कर्तव्य के प्रति उदासीनता को प्रमाणित करता है। साथ ही, यह भी संज्ञान में आया कि सेवाकाल के दौरान विभिन्न पदस्थापन अवधि में इनके विरुद्ध कई आरोप प्रतिवेदित किये गये, जिससे स्पष्ट है कि ये Habitual offender हैं और इसी कारण इनकी सेवा अब तक संपुष्ट नहीं है।

6. अतः समीक्षोपरांत झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के तहत सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक 6316, दिनांक 18.05.2017 एवं पत्रांक-7649, दिनांक 29.06.2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी, जिसके आलोक में डॉ० हुसैन के पत्रांक-107, दिनांक 13.06.2017 एवं 123/नजा०, दिनांक 07.07.2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया।

7. डॉ० हुसैन के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, बचाव बयान, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि इनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में ऐसा कोई भी तथ्य नहीं दिया गया है जो इनके विरुद्ध प्रमाणित आरोपों को खंडित करता है। अतएव डॉ० हुसैन के द्वारा दिया गया द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के तहत सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया।

8. झारखण्ड लोक सेवा आयोग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2095, दिनांक 20.09.2017 द्वारा डॉ० हुसैन को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी।

9. तत्पश्चात्, दिनांक 06.10.2017 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में डॉ० अनवर हुसैन को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के तहत सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

10. मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के उपरांत विभागीय संकल्प सं०-10530, दिनांक 11.10.2017 द्वारा डॉ० हुसैन को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के तहत सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया।

11. उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध डॉ० हुसैन द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में W.P. (S) No. 7251/2017- डॉ० अनवर हुसैन बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.2022 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है

"8. In both the judgments, the Hon'ble Supreme Court has held that non-examination of witnesses, where some documents are to be proved, will result in violation of the principle of natural justice, which will mean that no reasonable opportunity

has been given to the delinquent to defend his/her case. Thus the entire proceeding and the enquiry stand vitiated.

9. Considering the aforesaid judgments, as the case in hand is squarely covered by the law laid down, as admittedly none proved the documents. I am inclined to allow this petition. Accordingly, this writ application is allowed. Consequently, the entire enquiry report as well as the order of punishment contained in Memo No. 10530/Ranchi, dated 11.10.2017 (Annexure-6) is hereby quashed. The respondents are directed to extend all the consequential benefits to the petitioner immediately. The respondents, if so wishes, may proceed afresh.

10. This writ application stands allowed."

12. W.P.(S) No.-7251/2017 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.2022 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध विभाग की ओर से माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में L.P.A. No. 159 of 2023 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम डॉ॰ अनवर हुसैन दायर किया गया। उक्त L.P.A में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.02.2026 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है

"17. Thus, we see that Hon'ble Apex Court has reprimanded and even gone to the extent in observing that the authorities are yet to take lessons despite the admonition in Saroj Kumar Sinha (Supra) and same kind of omission and commission that led to setting aside the order of punishment imposed being upheld by the Hon'ble Apex Court, were repeated.

18. In the instant case also, as we have noted above, that documents were proved without any oral evidence. Therefore, as per the settled principle, the same document cannot be said to be proved. As a matter of fact, even in an ex-parte inquiry, the Inquiry officer has to act as an Umpire and not as the representative of the department. His function is to examine the evidence; even in absence of the delinquent officer, he has to see as to whether the unrebutted evidence is sufficient to hold that the charges are proved, and since in the instant case, no oral evidence has been examined, the documents have not been proved and could not have been taken into consideration, and thus the Inquiry officer erroneously concluded that the charges have been proved against the writ petitioner.

19. We do not find any error in the order passed by the learned single judge in the backdrop of the facts that the documents were proved without any oral evidence and the Inquiry officer has not acted as an independent quasi-judicial authority; rather acted as a representative of his superiors.

20. Accordingly, the instant appeal stands dismissed. Pending I.As. if any, also stands disposed of. However, there shall be no order to cost."

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.02.2026 को पारित न्यायादेश द्वारा L.P.A को खारिज कर दिया गया।

13. L.P.A. No. 159 of 2023 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.02.2026 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध विभाग की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP दायर किया गया, जिसका Diary No. 40180/2026 है।

14. W.P.(S) No. 7251 of 2017 डॉ॰ अनवर हुसैन बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.2022 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु डॉ॰ हुसैन द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में Cont. (Civil) Case No. 871 of 2023 दायर की गई है।

उक्त अवमाननावाद में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 17.07.2026 को पारित अंतरिम आदेश निम्नवत् है

"On the request of learned counsel appearing for the State, two weeks' time is allowed for filing compliance report, failing which, appropriate order will be passed including framing of the charge against the erring officers."

15. अतः W.P.(S) No.-7251/2017 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12. 12.2022 को पारित न्यायादेश एवं L.P.A. No. 159 of 2023 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.02.2026 को पारित न्यायादेश तथा Cont. (Civil) Case No. 871 of 2023 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 17.07.2026 को पारित अंतरिम आदेश के आलोक में निम्नवत् निर्णय लिया जाता है

(क) डॉ॰ अनवर हुसैन, तत्कालीन अंचल अधिकारी, पांकी-सह-लेस्लीगंज, पलामू के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं0-10530, दिनांक 11.10.2017 द्वारा अधिरोपित दण्ड "सरकारी सेवा से बर्खास्त" को विलोपित किया जाता है।

(ख) उक्त विलोपन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर SLP Diary No. 40180/2026 के अंतिम निर्णय से प्रभावित होगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति डॉ॰ अनवर हुसैन, से॰नि॰ झा॰प्र॰से॰ एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दौराईबुरू,

सरकार के संयुक्त सचिव ।
